में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । कृषकों का एक प्रतिनिधि कृषि मूल्य आयोग के सदस्य के रूप में पहले ही शामिल किया गया है और वह अप्रैल, 1976 से कार्य कर रहा है । इसके अतिरिक्त, सरकार ने 22 कृषकों/कृषि श्रमिकों के एक कृषक पैनल का, जिसमें देश के 22 राज्यों से एक-एक कृषक है, गठन भी किया गया है ताकि आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में उनके व्यावहारिक अनुभव पर आधारित मूल्यवान सुझाव तथा सलाह प्राप्त हो सकें ।

गन्ना उत्पादकों को किए जाने वाले वास्तविक भुगतान में अन्तर

864. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें गन्ना खरीदते समय पर्चियां जारी करती हैं जिसमें इसका मूल्य प्रति क्विंटल 9 रुपये दिखाया होता है जबकि वे वास्तव में प्रति क्विंटल 7 रुपये हैं; और

(ख) सरकार चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों के प्रति किये जाने वाले इस अन्याय को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है और अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

तम्बाकू निगम

865. **श्री अमर सिंह वी राठवा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन तम्बाकू निगम स्थापित करने की कोई योजना है ताकि तम्बाकू का उत्पादन करने वाले छोटे किसानों को व्यापारियों के चंगुल से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं और ऐसा निगम कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). जी नहीं । तथापि, भारत सरकार ने 1-1-76 को तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय में एक तम्बाकू बोर्ड स्थापित किया है । बोर्ड ने उत्पादकों के हितों में निम्नांकित कदम उठाए हैं ताकि वे अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें :—

1. सरकार को न्यूनतम निर्यात मूल्य की सिफारिश करते समय बोर्ड उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखता है । अनुभव से यह पता चलता है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि से आम-तौर पर उत्पादकों को अधिक लाभ प्राप्त होता है । न्यूनतम निर्यात मूल्यों में गत वर्ष वृद्धि की गई थी और इस वर्ष भी बोर्ड की सिफारिश पर उसमें वृद्धि की गई है ।

2. पिछले वर्ष से व्यापारियों तथा उत्पादकों से सलाह करके बोर्ड संकेतक मूल्य घोषित करता आ रहा है जिन पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री होने की आशा होती है । इससे उत्पादकों को भी अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है ।

3. इस वर्ष से बोर्ड ने एक प्रणाली प्रारम्भ की है जो तम्बाकू की पत्तियों की खरीद की वाउचर प्रणाली कहलाती है । यह प्रणाली निर्विवाद रूप से इस बात का सुनिश्चय करने के लिए बनाई गयी है कि उत्पादकों को माल की सुपुर्दगी के समय मूल्य

का 50 प्रतिशत तुरन्त प्राप्त हो जाए और शेष 50 प्रतिशत मुपुर्दगी की तिथि से 90 दिन के अन्दर दो किस्तों में ब्याज सहित प्राप्त हो जाए । यह कदम बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पादकों को देर से किये जाने वाले भुगतान की समस्या पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर उठाया है ताकि व्यापारी उत्पादकों को मूल्य का भुगतान तेजी से करें । तथापि, इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ क्षेत्रों, विशेषकर व्यापारियों द्वारा बाधा डाली जा रही है और हैदराबाद उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं ।

वर्जीनिया तम्बाकू के अतिरिक्त देश में उत्पादित तम्बाकू की दूसरी प्रमुख किस्म बीड़ी का तम्बाकू है जिसके निर्यात के लिए अधिक मांग नहीं है । तम्बाकू बोर्ड से गुजरात और कर्नाटक में बीड़ी के तम्बाकू की विपणन-समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने को कहा गया है । यह समिति अभी गठित होनी है । उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बीड़ी के तम्बाकू के व्यापार में सुधार लाने के लिए प्रतिकारी उपायों पर भी बोर्ड और सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

Publication of School Text Books by Private Publishers

866. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering to entrust the publication of School Text Books to private publishers in order to boost their economy and encourage the book publisning industry; and

(b) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). No, Sir. However, since 1976 the National Council of Educational Research and Training (NCERT) which is responsible for the preparation, production and distribution of textbooks mainly to meet the requirements of Central Schools and Schools affiliated to the Central Board of Secondary Education, availed of the offer of The Federation of Indian Publishers to collaborate with NCERT in the printing, publishing and distribution of textbooks. This has been progressively extended. In 1976-77 some of its textbooks were assigned for printing/publication to four private sector publishers. During 1977-78, 50 textbooks/workbooks were assigned to 21 private publishers for publishing and distribution. For the academic session 1978-79, NCERT has also decided to give to the private publishers the reprints in respect of books which were published by them in last academic session.

नई दिल्ली में पन्त मार्ग, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड और महादेव रोड पर संसद सदस्यों के फ्लैट

867. श्रीमती चन्द्रावती : क्या निर्माण और आवास तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में पन्त मार्ग, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड और महादेव रोड पर स्थित संसद सदस्यों के बंगलों की स्थिति बहुत खराब है;

(ख) क्या ये बंगले रहने योग्य हैं और यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है और वर्ष 1971-72 से वर्ष 1977-78 तक की अवधि में वर्षवार, इन बंगलों के रखरखाव और मरम्मत पर कितना धन व्यय हुआ है; और

(ग) क्या यह सच है कि इन बंगलों में बहुत ही सीलन है तथा इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस सीलन को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?